

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृति/जोन-उदयपुर/03-01210/2025/

दिनांक:-

:-आदेश:-

निम्नांकित कार्मिक जो 60 वर्षीय अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर रहे है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृति दिनांक
1	थनकम्मामणी के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बांसवाड़ा	24.03.1965	31.03.2025
2	लीलावती राव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बांसवाड़ा	28.05.1965	31.05.2025
3	कृष्णा कुमारी पटेल नर्सिंग ऑफिसर	बांसवाड़ा	28.07.1965	31.07.2025
4	अनिता डाबी नर्सिंग ऑफिसर	नाथद्वारा राजसंमद	10.07.1965	31.07.2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृति/जोन-उदयपुर/03-01210/2025/10
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 23/01/2025

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
3. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0/राजहैल्थ अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-01-2025 08:30:02